न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला [illegible]

वईजलास — श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :— 55/2021
दायर दिनांक :— 07.07.2021

अनवान

गोपाल पिता मांगीलाल गुर्जर नि. गणेशपुरा तह. जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. गोकल पिता भूरा गुर्जर नि. गणेशपुरा तह. जहाजपुर
2. देवकरण पिता भूरा गुर्जर नि. गणेशपुरा तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री शशिकान्त पत्रिया, वकील वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 07 .05.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पीपलुन्द प0 ह0 पीपलुन्द तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 823, 825/2, 2933/822, 2934/825, 3154/825 कुल किता 05 रकवा 15–09 बीघा कृषि भुमि वादी व वादी के परिवार के परिवार के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पर वादी व उसके परिवार के सभी सदस्य शांतिपूर्ण ढंग से काश्त करते चले आ रहे थे कि वर्ष 2016 अप्रेल माह में आ. सं. 3154/825 रकवा 2 बीघा में से 15 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने तथा आ. न. 825/2 रकवा 7 बीघा में से 1 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 ने शक्ति के बल पर अवैध कब्जा कर लिया था। वादी व परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को इस बावत ओलबा दिया तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने कहा की आप पत्थरगढी करवा लो अगर आप के हिस्से की होगी तो हम छोड देगे इस पर वादी ने मान्य न्यायालय से विधि अनुसार आवेदन कर पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया जिस पर दिनांक 06.06.2019 को मौके पर पत्थरगढी की गई। वादी की आ. सं. 825/2 व 3154/825 की पत्थरगढी किये जाने पर पुख्ता पता चला की प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उक्त आराजी पर चरण सं 2 में वर्णित तथ्यों अनुसार भू भाग पर अवैध कब्जा कर लिया था जिस पर वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को क़ब्जा छोडने के लिए अनुरोध किया तो उन्होने कहा कि हम शीघ्र ही कब्जा छोड देगें तथा तभी से निरंतर टालमटोल करते चले आ रहे है जिस पर वादी ने पुनः दिनांक 17.10.19 को कब्जा छोडने का निवेदन किया परन्तु मना कर देने से वाद पत्र पेश करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई हैं आ. सं. 825/2 व 3154/825 के कुछ भाग पर बलपूर्वक कब्जां कर रखा हैं जिससे वादी व अन्य खातेदारों के खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है तथा अपूरणीय क्षति हो रही हैं प्रतिवादीगण कृत्य विधि विरूद्व है इस कारण प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाकर कब्जा पुनः संयुक्त खातेदारान को दिलाये जाने की डिक्री पारित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। दिनांक 17.10.19 को कब्जा छोडने का अनुरोध किया तो उलटे अन्य आराजी पर भी कब्जा करने की धमकिया दी इस कारण प्रतिवादीगण कब्जा हटाये जाने के पश्चात किसी भी आराजी में कृषि कार्य में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी कारित

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

ना करें इस हेतु स्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 द्वारा आ. स. 825/2 व 3154/825 पर जबरन किये गए अवैध कब्जे को हटवाया जाकर पुनः कब्जा वादी व सहखातेदार को दिलाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2072 से 2075 की प्रति प्रदर्श 1, दिनांक 03.06.19 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा की प्रति प्रदर्श 2 जो शामिल फाईल है। एवं ब्यान गवाह में गोपाल गुर्जर, पी. डब्ल्यु 1 के ब्यान करवाये गये, जिसे शा0 फा0 किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी बहस के दौरान बताया की उक्त वर्णित भूमि वादी व वादी के परिवार के अन्य सदस्यों की संयुक्त खातेदारी स्थित है। वर्ष 2016 अप्रेल माह में आ. सं. 3154/825 रकबा 2 बीघा में से 15 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने तथा आ. न. 825/2 रकबा 7 बीघा में से 1 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 ने शक्ति के बल पर अवैध कब्जा कर लिया था। वादी व परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को इस बाबत ओलबा दिया तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने कहा की आप पत्थरगढी करवा लो अगर आप के हिस्से की होगी तो हम छोड देगे इस पर वादी ने दिनांक 06.06.2019 को मौके पर पत्थरगढी की गई। वादी की आ. सं. 825/2 व 3154/825 की पत्थरगढी किये जाने पर पुख्ता पता चला की प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उक्त आराजी पर चरण सं 2 में वर्णित तथ्यों अनुसार भू भाग पर अवैध कब्जा कर लिया था इसलिये वर्णित कृषि भूमि आ.. सं. 3154/825 रकबा 2 बीघा में से 15 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने तथा आ. न. 825/2 रकबा 7 बीघा में से 1 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 ने कृषि भूमि पर कर रखा अवैध कब्जा अतिचार से बेदखल कर पुनः कब्जा वादी को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नं. 825/2 व 3154/825 भूमि का वादी व परिवारजन सरजू व रूकमा खातेदार काश्तकार है, जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2072–75 प्रदर्श 1 से होती है। वादी की खातेदारी भूमि आ. सं. 3154/825 रकबा 2 बीघा में से 15 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने तथा आ. न. 825/2 रकबा 7 बीघा में से 1 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 ने पर मौके पर कब्जा कर लिया है, जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 2 से होती है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अतिचारी है, जिन्होनें बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः वादी प्रतिवादीगण को अपनी भूमि से बेदखल कराने का अधिकार रखता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादी व अन्य अभिलिखित सहखातेदारों के साथ कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पीपलुन्द प0 ह0 पीपलुन्द तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 823, 825/2, 2933/822, 2934/825, 3154/825 कुल किता 05 रकबा 15–09 बीघा में से प्रतिवादी सं. 1 से 2 द्वारा आ. सं. 3154/825 रकबा 2 बीघा में से 15 बिस्वा भूमि पर तथा आ. न. 825/2 रकबा 7 बीघा में से 1 बीघा भूमि पर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से उन्हे बेदखल कर कब्जा वादी एंव अन्य अभिलिखित सहखातेदार सरजू व रूकमा को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक० 9.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

गोपाल पिता मांगीलाल गुर्जर नि. गणेशपुरा तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. गोकल पिता भूरा गुर्जर नि. गणेशपुरा तह. जहाजपुर
2. देवकरण पिता भूरा गुर्जर नि. गणेशपुरा तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

दावा बावत – **183, 188 आर. टी. ए.**
प्रकरण संख्या :– 55 /2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री शशिकान्त पत्रिया का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पीपलुन्द प0 ह0 पीपलुन्द तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 823, 825/2, 2933/822, 2934/825, 3154/825 कुल किता 05 रकबा 15–09 बीघा में से प्रतिवादी सं. 1 से 2 द्वारा आ. सं. 3154/825 रकबा 2 बीघा में से 15 बिस्वा भूमि पर तथा आ. न. 825/2 रकबा 7 बीघा में से 1 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से उन्हे बेदखल कर कब्जा वादी एंव अन्य अभिलिखित सहखातेदार सरजू व रूकमा को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.05.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner